संख्या-06/2016/212आ.न.यो./9-8-16-01आ.न.यो.(बजट)/16

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 18 फरवरी, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु नगर निकायों को स्वीकृति किये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के विभिन्न शासनादेशों द्वारा आदर्श नगर योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु नगर निकायों को अनुदान की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अधिकांश निकायों द्वारा अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे उन्हें स्वीकृत की गयी धनराशि की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अभी तक निर्गत नहीं की जा सकी है। इसके अतिरिक्त जिन निकायों को शासन द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की सम्पूर्ण धनराशि निर्गत की गयी है उनके द्वारा अभी तक निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में आपके जनपद से सम्बन्धित जिन नागर निकायों को 50 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत की गयी है, से द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत की धनराशि धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन द्वारा स्वीकृत किये गये आगणन एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार (कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति/स्थल पर अद्यतन स्थिति के फोटोग्राफ सहित) एवं जिन निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में शासन द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है, से निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद के

फोटोग्राफ सहित) शासन द्वारा स्वीकृत किये गये आगणन एवं विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त कर संलग्न प्रारूप पर 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3, इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अन्तर्गत एल0ई0डी0 लाइटों/ लाईटों के क्रय किये जाने हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है, से क्रय की गयी सामग्री से सम्बन्धित फर्म द्वारा दी गयी वारन्टी/गारन्टी की अवधि से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र, क्रय की गयी सामग्री की मात्रा तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु निकाय द्वारा नामित कार्यदायी संस्था द्वारा हस्ताक्षरित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/निकाय के तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित शासन को 15 दिन के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

17/7/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या-06/2016/212(1)आ.न.यो./9-8-16 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्बन्धित अधक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश, (द्वारा जिलाधिकारी)

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

शासनादेश संख्या-06/2016/212आ0न0यो0/9-8-2016-01आ.न.यो.(बजट)/2016 दिनांक 18 फरवरी, 2016 का संलग्नक

प्रारूप

कार्यालय का नाम

पत्रांक.....

दिनांक.....

उपयोगिता प्रमाण पत्र

क्र.	योजना का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि	व्यय का प्रतिशत	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से प्रस्तावित /स्वीकृत कार्य आगणन के अनुसार मानकों के अनुरूप वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश की शर्तो के अनुसार कराये गये हैं तथा इसमें विचलन नहीं किया गया है।

निकाय के अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर

मुख्य/अधिशासी/सहायक/अवर अभियंता/ तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर(जैसी भी स्थिति हो तथा जो निकाय में कार्य कराये जाने के लिए उत्तरदायी हो)

नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी/ सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/ प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर